न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—273/2018/223 (2018/00273)

1. गिलेडिस पुत्री मांगीलाल पत्नी मिलर ऑर, निवासी बर्फ फेक्ट्री के पास, नाड़ी मौहल्ला, विजयनगर । (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— मिलर ऑर पति स्व0 श्रीमती गिलेडिस, जाति भारतीय ईसाई, निवासी बर्फ फैक्ट्री के पास, नाडी मौहल्ला, विजयनगर, जिला अजमेर।
   1/2— बॉबी विन्सेट ऑर पुत्र स्व0 श्रीमती गिलेडिस, जाति भारतीय ईसाई, नि0 बर्फ फैक्ट्री के पास, नाडी मौहल्ला, विजयनगर, जिला अजमेर ।
   1/3— पारसी आईरिस पुत्री स्व0 श्रीमती गिलेडिस, जाति भारतीय ईसाई नि0 बर्फ फैक्ट्री के पास, नाडी मौहल्ला, विजयनगर, जिला अजमेर।
   1/4— विनी आईरिस पुत्री स्व0 श्रीमती गिलेडिस, जाति भारतीय ईसाई नि0 बर्फ फैक्ट्री के पास, नाडी मौहल्ला, विजयनगर, जिला अजमेर।
2. मेटीलडा पुत्री मांगीलाल पत्नि रतनसिंह भाटी, जाति भारतीय ईसाई, नि0 प्लॉट नं0 11, माउंट बोरवेल चर्च के पास, गांधीनगर, मदार, अजमेर ।
3. इडित पुत्री मांगीलाल पत्नी ऑस्टिन सेमुअल, जाति भारतीय ईसाई, नि0 689/1, आनन्द नगर, अजमेर ।
4. मरियम शोरिना पुत्री मांगीलाल पत्नि राजेन्द्र डेविड, जाति भारतीय ईसाई, नि0 प्लॉट नं0 11, माउंट बोरवेल चर्च के पास, गांधी नगर, अजमेर ।
5. सुलोचना पुत्री मांगीलाल पतिन सेमसंधा, नि0 अमृतकौर हॉस्पिटल, एंथोनी नगर, ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. मेकेंजी रोज पुत्री मांगीलाल पत्नी सेमुअल, नि0 म0नं0 13, आई0टी0आई0 कॉलेज के पास, मदार, अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. ऑलीवर हैनरी पुत्र मांगीलाल, जाति भारतीय (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती विमला पत्नि ऑलिवर हैनरी, जाति भारतीय ईसाई, नि0 खारच्या कुआं के पास, रेल्वे स्टेशन के सामने, ब्यावर, जिला अजमेर ।
   1/2— अनिल पुत्र ऑलिवर हैनरी, जाति भारतीय ईसाई, निवासी खारच्या कुआं के पास, रेल्वे स्टेशन के सामने, ब्यावर, जिला अजमेर ।
   1/3— अनिता मैसी पुत्री ऑलिवर हैनरी, जाति भारतीय ईसाई, निवासी खारच्या कुआं के पास, रेल्वे स्टेशन के सामने, ब्यावर, जिला अजमेर ।
   1/4— प्रवीण पुत्र ऑलिवर हैनरी, जाति भारतीय ईसाई, नि0 खारच्या कुआं के पास, रेल्वे स्टेशन के सामने, ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. वेलफनेशों पुत्र पैट्रिक, जाति भारतीय ईसाई, नि0 खारच्या कुआं के पास, रेल्वे स्टेशन के सामने, ब्यावर, जिला अजमेर । (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— रोमन पत्नी वेलफेनेशों,
   2/2— राहुल पुत्र वेलफेनेशो,
   2/3— निर्मला पुत्री वेलफेनेशो,
   समस्त जाति भारतीय ईसाई, नि0 खारच्या कुआं के पास, रेल्वे स्टेशन, ब्यावर, जिला अजमेर ।

3. बैन्जमिल पुत्र पैद्रिक, जाति भारतीय ईसाई, नि0 खारच्या कुआं के पास, रेल्वे स्टेशन के सामने, ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
5. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 29.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 121/2013.

उपस्थितः–

1. श्री वी0एस0भाटी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री दिनेश कुमार, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/4.
3. श्री पुष्पेन्द्रसिंह रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1/3.
4. रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/3 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 4 व 5.

निर्णय

दिनांकः– 1.10..2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.2017के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 व अंतर्गत धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया कि वाके छावनी प्रेट, खारचिया कंआ के पास, पटवार हल्का नया नगर, तह0 ब्यावर जिला अजमेर की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 133 रकबा 00.03–10 बीघा, खसरा नंबर 138 रकबा 02–07–00, खसरा नंबर 139 रकबा 02–06–00, खसरा नंबर 140 रकबा 1–11–10, खसरा नंबर 141 रकबा 00–02–00, खसरा नंबर 144 रकबा 00–03–10 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 6–13–10 बीघा भूमियां अवस्थित है । साथ ही करीब 5–13–17 बीघा जिसका अंकन नगर परिषद के नाम 90–बी से हो गया है । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता स्व0 पेद्रिक अपने नाना डेविड के गोद चला गया था । इसी कारण जमाबंदी में उसका नाम दर्ज नहीं है । प्रतिवादी संख्या 1 आपत्ति नहीं कर रहा है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अपना नाम दर्ज करवाकर 1/2 हिस्से की आराजी को बेचने पर आमादा है । वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की बहिनें तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पिता व बहनें, भुआऐं है जिनका भी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की कृषि भूमि में पैत्रिक व प्राकृतिक हिस्सा निहित है । वादीगण ने एक राय होकर अपने स्व0 पिता की खेतीहर जमीन में अपना जुड़वाने का मानस बनाया है, जिसकी वह अधिकारी है । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण का वादग्रस्त आराजियात में नाम दर्ज किया जाकर सभी कृषि भूमियों का नये सिरे से बाहमी बंटवारा करके हिस्सेवार सीमांकन कर पत्थरगढ़ी की जाए ।

विवादित कृषि भूमि का बंटवारा कर वादीगण को पैतृक सम्पति में से हिस्सा दिलवाया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.9.2017 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस संख्या 1/1 से 1/4 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलांटस/वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं किया गया था न ही वादपत्र पर अपीलांटस के हस्ताक्षर ही है एवं न ही अपीलांटस ने कोई अधिवक्ता ही वाद पेश करने हेतु नियुक्त किया था । रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने उक्त निर्णय व डिक्री फ्रॉड के आधार पर प्राप्त की है । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अधिवक्त सुरेन्द्रसिंह चौहान से मिलीभगति कर अपीलांटस के नाम से अधी0न्याया0 में वाद पेश किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं अधिवक्ता सुरेन्द्रसिंह चौहान द्वारा अपीलांट संख्या 5 सुलोचना के नाम का फर्जी पेश किया है । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादपत्र एव शपथ पत्र पर वादीगण के फर्जी हस्ताक्षर किये है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने मिलीभगती करते हुए उनको उक्त वादपत्र के नोटिस तामील होने के उपरांत भी अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं हुए और अपने विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करवा ली तत्पश्चात् अधिवक्ता सुरेन्द्रसिंह ने उक्त वादपत्र में वादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को लाभ पहुंचाने के आशय से कैम्प कोर्ट में उक्त वादपत्र को खारिज करवा लिया ताकि स्व0 मांगीलाल की सम्पति में उनकी पुत्रियों अपीलांटस को कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हो सके और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जो कि स्व0 मांगीलाल के पुत्र/पौत्र है उक्त जायदाद के तन्हा मालि हो जाये । अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात पैतृक होना मानने के बावजूद विवादित आराजियात में पुत्रियों का हिस्सा नहीं मानने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस के नाम से फर्जी वाद पेश किया गया था जिससे वे दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर सके थे । स्व0 मांगीलाल का निर्वसियत देहांत हो गया है जिससे स्व0 मांगीलाल की सम्पति स्वअर्जित सम्पति होने की स्थिति में भी अपीलांटस के हक व अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय का यह भी आधार लिया है कि मांगीलाल के वारिसान के नाम नामांतकरण संख्या 116 दिनांक 19.5.1995 में तस्दीक हुआ है जिसमें पुत्रियां होने संबंधी कोई अंकन नहीं है इस बाबत् अपीलांटस का निवेदन है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने जानबूझकर राजस्व अधिकारियों से मिलीभगती कर उक्त नामांतकरण में पुत्रियों के नाम का अंकन नहीं करवाया है । केवल मात्र नाम अंकित करने से पुत्रियां को स्व0 मांगीलाल की सम्पति से वंचित नहीं किया जा सकता है । विवादित आराजियात पैतृक होने से स्व0 मांगीलाल की सम्पति में प्रत्येक वारिसान का हक, अधिकार व हिस्सा होना माना जावेगा। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्राथना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 में वादीगण/अपीलांटस

के नाम फर्जी वाद पेश किया गया है जबकि वादीगण/अपीलांटस द्वारा किसी प्रकार का वाद पत्र पेश नहीं किया गया था । इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांटस को नहीं हो सकी थी । निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 1.9.2018 को तब हुई जब प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने विवादित आराजी को बेचने के लिये दलालों को जमीन पर लाकर दिखलाने लगे तब हुई । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की जानकारी कर, प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन पेश किया जिस पर 4.9.2018 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जावे तथा अपील मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 1/1 से 1/4 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद वादीगण/अपीलांटस द्वारा ही पेश किया गया था । अपीलांटस ने सक्षम अधिकारी का सजरा प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है । अपीलांटस ने रेस्पो0 के नाम तस्दीक नामांतकरण को आज दिवस तक चुनौती नही दी है । उक्त नामांतकरण की अपीलांटस को प्रारंभ से जानकारी थी इसके बावजूद अपीलांटस ने इतने वर्षो बाद यह वाद पेश किया है जिसे वे साबित करने में असफल रहे है इसी कारण अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है । अपीलाटस ने स्वंय स्वीकार किया है कि विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं है। विद्वान अधी0न्याया का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कोई वाद पेश नहीं किया गया था बल्कि उक्त वाद रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान से मिलीभगती कर अपीलांटस के फर्जी हस्ताक्षर करके अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किया था । जब अपीलांटस स्वंय यह स्वीकार कर रहे है कि उनके द्वारा किसी प्रकार का वादपत्र अधी0न्याया0 के समक्ष पेश नहीं किया गया था तो उनके द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जाना संभव नहीं माना जा सकता है । अपीलांटस को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर मिलने का भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । यही नहीं प्रंकरण का निस्तारण लोक अदालत कैम्प कोर्ट में किया गया है, जबकि प्रकरण में सभी पक्षकारान की सहमति नहीं होने के कारण प्रकरण को लोक अदालत में निर्णय हेतु समुचित आधार विद्यमान नहीं था । अतः हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 1.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर